मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– एफ–3/02/2017/18–5 भोपाल, दिनांक /01/2017

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
भोपाल, म0प्र0।

विषय :– नगर विकास योजनाओं में उपातंरण।

––00––

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य शासन ने नगरों की विकास योजनाओं में उपातंरण का निर्णय लिया है, अतः संलग्न सूचना को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खण्डवा, नीमच, मुलताई, होशंगाबाद, अशोकनगर, हरदा, महेश्वर, रायसेन, टीकमगढ़, अनूपपुर, राजगढ़, रतलाम, मडंला, खरगोन, डबरा, पांढुर्णा, सीधी, जावरा, धार, बुरहानपुर, सीहोरा, उमरिया, सतना, दतिया, भिंड, श्योपुर, झाबुआ, सीहोर, मुरैना, बीना, छिन्दवाड़ा, शाजापुर, सिवनी, मंदसौर, देवास, इटारसी, शहडोल, बड़वानी, पन्ना, बैरसिया, सागर, उज्जैन, नया हरसूद, बैतूल, सिंगरौली, दमोह, सेंधवा, गोहद, शुजालपुर, गंजबासौदा, खुरई, रीवा, विदिशा, गुना, बालाघाट, छतरपुर, अलीराजपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पिपरिया, रामपुर बाघेलाल, शिवपुरी, खजुराहों, चंदेरी, ओरछा, सांची, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, भेड़ाघाट, चित्रकुट, बाधंवगढ़, मांडव, मैहर में प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा उक्त समाचार पत्र व्यापक परिचालन में हो।

तदानुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0 क्रमांक– एफ–3/02/2017/18–5 भोपाल, दिनांक 20/01/2017

प्रतिलिपिः–

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला–भोपाल की और अग्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को नगर तथा ग्राम निवेश की बेवसाईड पर प्रकाशित कराने एवं सूचना के प्रकाशन के समाचार पत्रों की कतरने शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

OTHER

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

–: सूचना :–

भोपाल दिनांक 20/01/2017

**क्रमांक–एफ–3–02/2017/18–5** :– एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012) की धारा 23–''क'' की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है :–

**उपांतरण का विवरण**

| क. | विकास योजना का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | इंदौर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की कंडिका क्रमांक 6.22 कॉलम क्रमांक 10 एवं 8 |
| 2. | भोपाल विकास योजना 2005 | अध्याय–4 की कंडिका क्रमांक 4.61 के पैरा पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 तथा पैरा ए–3 |
| 3. | जबलपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की कंडिका क्रमांक 4.9.1 के पैरा पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 तथा पैरा ए–3 |
| 4. | ग्वालियर विकास योजना 2021 | अध्याय–5 की सारणी 5–सा–14 के पी–1 कॉलम 4 एवं 13. |
| 5. | खंडवा विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–20 के कॉलम 4 एवं 7. |
| 6. | नीमच विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 7. | मुलताई विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7. |
| 8. | होशंगाबाद विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–12 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 9. | अशोकनगर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 10. | हरदा विकास योजना 2015 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 11. | महेश्वर विकास योजना 2015 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 12. | रायसेन विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 13. | टीकमगढ़ विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–9 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 14. | अनूपपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 15. | राजगढ़ विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 16. | रतलाम विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–6 के कॉलम 4 एवं 8 |
| 17. | मडंला विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 18. | खरगोन विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–13 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 19. | डबरा विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 20. | पांडुर्ना विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 21. | सीधी विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 22. | जावरा विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 23. | धार विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 24. | बुरहानपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की कंडिका क्रमांक 4.14(ब) के पैरा पी.एस. 1 एवं पी.एस. 2 तथा पैरा ए–3 |
| 25. | सीहोरा विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–13 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 26. | उमरिया विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 27. | सतना विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की कंडिका क्रमांक 4.14.1 के पैरा पी.एस. 1 एवं पी.एस. 2 तथा पैरा ए–3 (ए–2) |

| | | |
|---|---|---|
| 28. | दतिया विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 29. | भिंड विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 30. | श्योपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 31. | झाबुआ विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 32. | सीहोर विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–11 के कॉलम 4 एवं 9 |
| 33. | मुरैना विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 34. | बीना विकास योजना 2011 | अध्याय–7 की सारणी 7–सा–9 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 35. | छिंदवाड़ा विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 36. | शाजापुर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–18 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 37. | सिवनी विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 38. | मंदसौर विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 39. | देवास विकास योजना 2011 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–18 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 40. | इटारसी विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–18 के कॉलम 4 एवं 8 |
| 41. | शहडोल विकास योजना 2031 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 42. | बड़वानी विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 43. | पन्ना विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की कंडिका क्रमांक 6.15(ब) के पैरा पी.एस. 1 तथा पैरा ए |
| 44. | बैरसिया विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 45. | सागर विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–16 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 46. | उज्जैन विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–18 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 47. | नया हरसूद विकास योजना 2011 | अध्याय–7 की सारणी क्रमांक 7.1 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 48. | बैतूल विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–17 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 49. | सिंगरौली विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–7 के कॉलम 4 एवं 8 |
| 50. | दमोह विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 51. | सेंधवा विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 52. | गोहद विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–11 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 53. | शुजालपुर विकास योजना 2031 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–7 के कॉलम 4 एवं 8 |
| 54. | गंजबासौदा विकास योजना 2031 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–11 के कॉलम 4 एवं 7. |
| 55. | खुरई विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 56. | रीवा विकास योजना 2021 | अध्याय–4 की कंडिका क्रमांक 4.91 के पैरा पी.एस. 1 पैरा पी.एस. 2 तथा पैरा ए–3 (ए–2 सहित). |
| 57. | विदिशा विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–15 के कॉलम 4 एवं 7. |
| 58. | गुना विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 59. | बालाघाट विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 60. | छतरपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–11 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 61. | अलीराजपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 62. | कटनी विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–11 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 63. | नरसिंहपुर विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 64. | पिपरिया विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–13 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 65. | रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–13 के कॉलम 4 एवं 7 |
| 66. | शिवपुरी विकास योजना 2001 | अध्याय–9 की कंडिका क्रमांक 9.3 के बाद प्रतिस्थापित किया जाना |
| 67. | खजुराहो विकास योजना 2011 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–1 के कॉलम 3 एवं 4.2 |
| 68. | चंदेरी विकास योजना 2011 | अध्याय–9 की सारणी 9–सा–2 के कॉलम 3 एवं 6 |

| | | |
|---|---|---|
| 69. | ओरछा विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–8 एवं कंडिका कमांक 6.6 |
| 70. | सांची विकास योजना 2015 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–14 एवं कंडिका कमांक 6.58 के पैरा (क) जी–1 |
| 71. | अमरकंटक विकास योजना 2015 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–6 एवं कंडिका कमांक 6.10 |
| 72. | ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 | अध्याय–5 की सारणी 5–सा–6 के पैरा 3 एवं 7 |
| 73. | भेड़ाघाट विकास योजना 2021 | अध्याय–7 की सारणी 7–सा–3 के पैरा 4 एवं 8 |
| 74. | चित्रकूट विकास योजना 2005 | अध्याय–7 की सारणी 7–सा–5 के पैरा 4 एवं 7 |
| 75. | बांधवगढ़ विकास योजना 2031 | अध्याय–5 की सारणी 5–सा–7 के पैरा 3 एवं 6 |
| 76. | मांडव विकास योजना 2011 | अध्याय–6 की सारणी 6–सा–6 एवं कंडिका 6.6 |
| 77. | मैहर विकास योजना 2031 | अध्याय–4 की सारणी 4–सा–7 के पैरा 4 एवं 9. |

उपरोक्त उपांतरण का विस्तृत अवलोकन संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय, एवं नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों के साथ ही www.mptownplan.nic.in की वेबसाईड पर किया जा सकता है।

2/ अतः उक्त अधिनियम की धारा 23(क) (2) के अधीन राज्य सरकार उपांतरण के प्रारूप को सर्व साधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करती है, जिसकी प्रति संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय, एवं नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में सूचना के स्थानीय दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

3/ उक्त उपांतरण विवरण के प्रावधान के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे इस सूचना के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के तिथि से 15 दिन की कालावधि के भीतर अवर सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय या नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों को लिखित रूप से प्रस्तुत किए जावें।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

**(सी.के.साधव)**
**उप सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**

**Government of Madhya Pradesh**
**Urban Development And Housing Department**
**MANTRALAYA**

Notice

Bhopal, Dated 20/1/2017

**No. F-3-02/2017/18-5 :** It is hereby notified that the state government proposes to modify under Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), for public information as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE FOR MODIFICATION

| S. No. | Name of Development Plan | Schedule |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Indore Development Plan 2021 | Clause 6.22 Column no. 10 & 8 of Chapter-6 |
| 2. | Bhopal Development 2005 | Clause 4.61 Para PS 2 & PS 3 and Para A-3 of Chapter-4 |
| 3. | Jabalpur Development Plan 2021 | Clause 4.9.1 Para PS 2 & PS 3 and Para A-3 of Chapter-4 |
| 4. | Gwalior Development Plan 2021 | Table 5-T-14 Para 1 and Column no. 4 & 13 of Chapter-5 |
| 5. | Khandwa Development Plan 2031 | Table 4-T-20 Column no. 4 & 7 of Chapter-4 |
| 6. | Neemuch Development Plan 2011 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 7. | Multai Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 8. | Hoshangabad Development Plan 2031 | Table 4-T-12 Column no. 4 & 7 of Chapter-4 |
| 9. | Ashoknagar Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 10. | Harda Development Plan 2015 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 11. | Maheshwar Development Plan 2015 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 12. | Raisen Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 13. | Tikamgarh Development Plan 2011 | Table 6-T-9 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 14. | Anuppur Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 15. | Rajgarh Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 16. | Ratlam Development Plan 2021 | Table 4-T-6 Column no. 4 & 8 of Chapter-4 |
| 17. | Mandla Development Plan 2011 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 18. | Khargone Development Plan 2011 | Table 6-T-13 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 19. | Dabra Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 20. | Pandhurna Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 21. | Sidhi Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 22. | Jaora Development Plan 2011 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 23. | Dhar Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 24. | Burhanpur Development Plan 2021 | Clause 4.14(b) Para PS 1 & PS 2 and Para A-3 of Chapter-4 |
| 25. | Sihora Development Plan 2011 | Table 6-T-13 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | Umariya Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 27. | Satna Development Plan 2021 | Clause 4.14.1 Para PS 1 & PS 2 and Para A-3 (A-2) of Chapter-6 |
| 28. | Datia Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 29. | Bhind Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 30. | Sheopur Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 31. | Jhabua Development Plan 2011 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 32. | Sehore Development Plan 2031 | Table 4-T-11 Column no. 4 & 9 of Chapter-4 |
| 33. | Morena Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 34. | Bina Development Plan 2011 | Table 7-T-9 Column no. 4 & 7 of Chapter-7 |
| 35. | Chhindwara Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 36. | Shajapur Development Plan 2021 | Table 6-T-18 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 37. | Seoni Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 38. | Mandsaur Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 39. | Dewas Development Plan 2011 | Table 4-T-18 Column no. 4 & 7 of Chapter-4 |
| 40. | Itarsi Development Plan 2031 | Table 4-T-18 Column no. 4 & 8 of Chapter-4 |
| 41. | Shahdol Development Plan 2031 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 42. | Barwani Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 43. | Panna Development Plan 2021 | Clause 6.15(b) Para PS 1 and Para A of Chapter-6 |
| 44. | Berasia Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 45. | Sagar Development Plan 2011 | Table 6-T-16 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 46. | Ujjain Development Plan 2021 | Table 4-T-18 Column no. 4 & 7 of Chapter-4 |
| 47. | Naya Harsud Development Plan 2011 | Table No.7.1 Column no. 4 & 7 of Chapter-7 |
| 48. | Betul Development Plan 2021 | Table 4-T-17 Column no. 4 & 7 of Chapter-4 |
| 49. | Singroli Development Plan 2031 | Table 4-T-7 Column no. 4 & 8 of Chapter-4 |
| 50. | Damoh Development Plan 2031 | Table 4-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-4 |
| 51. | Sendhwa Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 52. | Gohad Development Plan 2021 | Table 6-T-11 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 53. | Shujalpur Development Plan 2031 | Table 6-T-7 Column no. 4 & 8 of Chapter-6 |
| 54. | Ganjbasoda Development Plan 2031 | Table 6-T-11 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 55. | Khurai Development Plan 2021 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 56. | Rewa Development Plan 2021 | Clause 4.91 Para PS 1 & PS 2 and Para A-3(with A-2) of Chapter-4 |
| 57. | Vidisha Development Plan 2011 | Table 6-T-15 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 58. | Guna Development Plan 2011 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 59. | Balaghat Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 60. | Chhatarpur Development Plan 2021 | Table 6-T-11 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 61. | Alirajpur Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 62. | Katni Development Plan 2021 | Table 6-T-11 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 63. | Narsinghpur Development Plan 2021 | Table 6-T-14 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 64. | Pipariya Development Plan 2021 | Table 6-T-13 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 65. | Rampur Baghelan Development Plan 2021 | Table 6-T-13 Column no. 4 & 7 of Chapter-6 |
| 66. | Shivpuri Development Plan 2001 | Insertion after Clause 9.3 of Chapter-9 |

| | | |
|---|---|---|
| 67. | Khajuraho Development Plan 2011 | Table 4-T-1 Column no. 3 & 4.2 of Chapter-4 |
| 68. | Chanderi Development Plan 2011 | Table 9-T-2 Column no. 3 & 6 of Chapter-9 |
| 69. | Orchha Development Plan 2011 | Table 6-T-8 and Clause 6.6 of Chapter-6 |
| 70. | Sanchi Development Plan 2015 | Table 6-T-14 and Clause 6.58 Para (k) G-1 of Chapter-6 |
| 71. | Amarkantak Development Plan 2015 | Table 6-T-6 and Clause 6.10 of Chapter-6 |
| 72. | Omkareshwar Development Plan 2021 | Table 5-T-6 Para 3 & 7 of Chapter-5 |
| 73. | Bheraghat Development Plan 2021 | Table 7-T-3 Para 4 & 8 of Chapter-7 |
| 74. | Chitrakoot Development Plan 2005 | Table 7-T-5 Para 4 & 7 of Chapter-7 |
| 75. | Bandhavgarh Development Plan 2031 | Table 5-T-7 Para 3 & 6 of Chapter-5 |
| 76. | Mandu Development Plan 2011 | Table 6-T-6 and Clause 6.6 of Chapter-6 |
| 77. | Maihar Development Plan 2031 | Table 4-T-7 Para 4 & 9 of Chapter-4 |

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of the concerning Collector and district offices of Town and Country Planning , as well as on the website www.mptownplan.nic.in.

Hence State Government hereby proposes to publish modifications for the public information under section 23(a)(2) of the Act, copy of which shall be available for inspection to the public in the office of the concerning Collector and district offices of Town and Country Planning after publication of this notice in the daily Newspapers during office hours of working days.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Ministry of Urban Development and Housing Department, Bhopal or district offices of Directorate, Town and Country Planning, Bhopal.

**By order and in the name of the Governor Of Madhya Pradesh,**

**(C.K.Sadhav)**
**Deputy Secretary**
**Government of Madhya Pradesh**
**Urban Developement And Housing Department**

20/1/2017

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

## विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 20/1 /2017

क्रमांक–एफ–3–02/2017/18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है :–

### अनुसूची

| क्र. | विकास योजना (नगर का नाम) | विकास योजना में भूमि उपयोग | अध्याय | विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक | सारणी/ कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक | उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | इंदौर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6.22 | कॉलम क्र. 10 | सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6.22 | कॉलम क्र. 8 | सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 2 | भोपाल वि.यो. 2005 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा पी.एस 2 एवं पी. एस 3 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा पी.एस 2 एवं पी. एस 3 | सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा ए–3 | कंडिका क्रं. 4.61 के पैरा ए–3 | सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 3 | जबलपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | कंडिका क्रं. 4.9.1 के पैरा पी.एस 2 एवं पी. एस 3 | कंडिका क्रं. 4.9.1 के पैरा पी.एस 2 एवं पी. एस 3 | सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | कंडिका क्रं. 4.9.1 के पैरा ए–3 | कंडिका क्रं. 4.9.1 के पैरा ए–3 | सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ग्वालियर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 5 | 5–सा–14 | पी–1 कॉलम 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 5 | 5–सा–14 | कॉलम 13 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 5 | खंडवा वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–20 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–20 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 6 | नीमच वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | कॉलम 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 7 | मुलताई वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | कॉलम 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 8 | होशंगाबाद वि. यो.2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–12 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–12 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | अशोकनगर वि. यो.2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 10 | हरदा वि.यो. 2015 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 11 | महेश्वर वि.यो. 2015 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 12 | रायसेन वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 13 | टीमकगढ वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–9 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–9 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 14 | अनूपपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | राजगढ वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 6 | रतलाम वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–6 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–6 | 8 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 17 | मंडला वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 18 | खरगोन वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–13 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–13 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 19 | डबरा वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 20 | पांढुर्ना वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सीधी वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 2 | जावरा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 23 | धार वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 24 | बुरहानपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा पी.एस 1 एवं 2 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा पी.एस 1 एवं 2 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा ए–3 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा ए–3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 25 | सीहोरा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–13 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–13 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | सीधी वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 22 | जावरा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 23 | धार वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 24 | बुरहानपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा पी.एस 1 एवं 2 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा पी.एस 1 एवं 2 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा ए–3 | कंडिका कमांक 4. 14(ब) के पैरा ए–3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 25 | सीहोरा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–13 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–13 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | उमरिया वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 27 | सतना वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | कंडिका कमांक 4.14.1 के पैरा पी.एस 1 एवं 2 | कंडिका कमांक 4.14.1 के पैरा पी.एस 1 एवं 2 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | कंडिका कमांक 4.14.1 के पैरा ए–3 (ए 2) | कंडिका कमांक 4.14.1 के पैरा ए–3 (ए 2) | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 28 | दतिया वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 29 | भिण्ड वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 30 | श्योपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | झाबुआ वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 32 | सीहोर वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–11 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–11 | 9 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 33 | मुरैना वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 34 | बीना वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 7 | 7–सा–9 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 7 | 7–सा–9 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 35 | छिंदवाडा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 36 | शाजापुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–18 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–18 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | सिवनी वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 38 | मंदसौर वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 39 | देवास वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–18 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–18 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 40 | ईटारसी वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–18 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–18 | 8 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 41 | शहडोल वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 42 | बडवानी वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | पन्ना वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | कंडिका कमांक 6.15(ब) के पैरा पी. एस 1 | कंडिका कमांक 6.15(ब) के पैरा पी.एस 1 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | कंडिका कमांक 6.15(ब) के पैरा ए | कंडिका कमांक 6. 15(ब) के पैरा ए | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 44 | बैरसिया वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 45 | सागर वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–16 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–16 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 46 | उज्जैन वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–18 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–18 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 47 | नयाहरसूद वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 7 | सारणी 7.1 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 7 | सारणी 7.1 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | बैतूल वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–17 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–17 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 49 | सिंगरौली वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–7 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–7 | 8 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 50 | दमोह वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 51 | सेंधवा वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 52 | गोहद वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–11 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–11 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | शुजालपुर वि. यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–7 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–7 | 8 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 54 | गंजबासौदा वि. यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–11 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–11 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 55 | खुरई वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 56 | रीवा वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | कंडिका कमांक 4.91 के पैरा पी. एस 1एवं पी.एस. 2 | कंडिका कमांक 4.91 के पैरा पी.एस 1एवं पी.एस. 2 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | कंडिका कमांक 4.91 के पैरा ए–3(ए–2 सहित) | कंडिका कमांक 4.91 के पैरा ए–3(ए–2 सहित) | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 57 | विदिशा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–15 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–15 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | गुना वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 59 | बालाघाट वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 60 | छतरपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–11 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–11 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 61 | अलीराजपुर वि. यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 62 | कटनी वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–11 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–11 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | नरसिंहपुर वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–14 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 64 | पिपरिया वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–13 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–13 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 65 | रामपुरबाघेलान वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–13 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | 6–सा–13 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 66 | शिवपुरी वि.यो. 2001 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | विकास योजना के अध्याय 9 के बिन्दु कमांक 9.3 विकास नियमन के बाद प्रतिस्थापित किया जाता है। | कंडिका कमांक 9.3 | कंडिका कमांक 9.3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | विकास योजना के अध्याय 9 के बिन्दु कमांक 9.3 विकास नियमन के बाद प्रतिस्थापित किया जाता हे। | कंडिका कमांक 9.3 | कंडिका कमांक 9.3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 67 | खजुराहो वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–1 | 3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–1 | 4.2 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | चंदेरी वि.यो. 2001 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 9 | 9–सा–2 | 3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 9 | 9–सा–2 | 6 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 69 | ओरछा वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–8 | 6–सा–8 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | कंडिका कमांक 6.6 | कंडिका कमांक 6.6 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 70 | सांची वि.यो. 2015 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–14 | 6–सा–14 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | कंडिका कमांक 6.58 के पैरा (क) जी–1 | कंडिका कमांक 6.58 के पैरा (क) जी–1 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 71 | अमरकंटक वि. यो. 2015 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–6 | 6–सा–6 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | कंडिका 6.10 | कंडिका 6.10 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 72 | औंकारेश्वर वि. यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 5 | 5–सा–6 | 3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 5 | 5–सा–6 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **<br>कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | भेडाघाट वि.यो. 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 7 | 7–सा–3 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 7 | 7–सा–3 | 8 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 74 | चित्रकूट वि.यो. 2005 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 7 | 7–सा–5 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 7 | 7–सा–5 | 7 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 75 | बांधवगढ वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 5 | 5–सा–7 | 3 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 5 | 5–सा–7 | 6 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 76 | मांडव वि.यो. 2011 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 6 | 6–सा–6 | 6–सा–6 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 6 | कंडिका क्रमांक 6.6 | कंडिका क्रमांक 6.6 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |
| 77 | मैहर वि.यो. 2031 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | 4 | 4–सा–7 | 4 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** |
| | | कृषि | 4 | 4–सा–7 | 9 | सूचना प्रौद्यौगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा – कृषि फार्म, फलोद्यान, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कैंपिंग सुविधाऐं, अस्तबल, कला प्रर्दशनी के लिये हॉल, पर्यटकों के लिये कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप (जिसका अधिकतम क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो) रख रखाव के लिये कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और केवल निवासरत पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ओपन एयर थिएटर। |

व्याख्या :–

1. * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

2. * * गैर प्रदूषणकारी उद्योग– गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

टीपः–

1. कृषि उपयोग में स्वीकृत उपयोग के सम्मुख न्यूनतम 12 मीटर का चौडा भाग होना चाहिऐ।
2. कृषि उपयोग में सूचना प्रौद्यौगिकी, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु FAR संबंधित मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप रहेंगें।
3. कृषि पर्यटन सुविधा अनुसूची में वर्णित समस्त विकास योजनाओं में कृषि उपयोग के लिये उपदर्शित कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तो और ऐसी अन्य शर्तो जो कि प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें के अध्यधीन रहते हुए कृषि पर्यटन सुविधा अनुज्ञेय होगी।
    1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 1.00 हेक्टेयर होगा।
    2. अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) 0.10 होगा।
    3. ढलुआ छत सहित संरचना की अधिकतम उंचाई 7.5 मीटर होगी।
    4. सभी ओर न्यूनतम खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) 7.5 मीटर होगा।
    5. भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 7.5 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल तथा बेवसाईट www.mptownplan.gov.in पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगें।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग